



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1953/2026

सुरेश चंद्र मौर्य उर्फ सुरेश कुमार मौर्य और 3 अन्य

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और विचारण न्यायालय के अभिलेखों को तलब किया जाए , पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और सिविल जज , सीनियर डिवीजन /एसीजेएम/फास्ट ट्रैक कोर्ट , भदोही द्वारा शिकायत वाद संख्या 1110/2018 (हरिओम मौर्य बनाम सुरेशचंद्र मौर्य और अन्य) में दिनांक 24.02.2026 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए तथा याचिकाकर्ताओं को धारा 323, 504, 506, 452, 427 भा.दं.सं., थाना दुर्गागंज, जिला भदोही के तहत अपराध से बरी किया जाए। याचिका में उपरोक्त मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में प्रतिपक्षी संख्या 2 याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 का साला है और याचिकाकर्ता संख्या 3 उसका ससुर है। याचिकाकर्ताओं की बहन और प्रतिपक्षी संख्या 2 के बीच वैवाहिक विवाद है , जिसके संबंध में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 498ए, 506 भा.दं.सं. और 3/4 डीपी एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही चल रही है। जवाबी कार्रवाई में प्रतिपक्षी संख्या 2 ने घर में जबरन घुसने और मारपीट करने के झूठे आरोप लगाते हुए यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता के बयान धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत और अन्य गवाहों कौशल्या देवी और श्याम धर के बयान धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए हैं, जो शिकायतकर्ता से संबंधित हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिपक्षी संख्या 2 के घर जाकर उस पर हमला करना कभी भी संभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के साथ मारपीट के आरोप का समर्थन करने वाली कोई चोट रिपोर्ट नहीं है। अलमारी तोड़ने का आरोप है, लेकिन इस आरोप को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत पी.डब्ल्यू.-3 सुभाष चंद्र मौर्य का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उनसे जिरह की गई, लेकिन विचारण न्यायालय ने जिरह में सामने आए तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद, रिहाई के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसे भी विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। पुनरीक्षणयाची सं. 1 घटना वाले दिन अपनी इयूटी पर मौजूद था और उसने अदालत में उपस्थिति रजिस्टर की प्रति भी पेश की थी, लेकिन रिहाई के आवेदन पर फैसला करते समय इसे भी ध्यान में नहीं लिया गया। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पारित आदेश अवैध और अनुचित होने के कारण अपास्त किया जाना चाहिए और पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि इस मामले में शिकायतकर्ता का धारा 200 दंड प्रक्रिया के तहत और अन्य गवाहों का धारा 202 दंड प्रक्रिया के तहत बयान दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने धारा 323, 504, 506, 452, 427 भा.दं.सं. के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया जाने पर समन जारी किया था। यह मामला दुर्गागंज पुलिस स्टेशन, जिला भदोही का है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बरी किए जाने के चरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 244 दंड प्रक्रिया के तहत अपेक्षित साक्ष्य को न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए और धारा 245 दंड प्रक्रिया के तहत आदेश पारित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, घटना के समय आरोपी व्यक्ति के कहीं और होने के अलीबी के दावे पर विचार या स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण में आरोपी द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत पेश किए गए और जांचे गए गवाहों ने भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। यदि जिरह के दौरान दर्ज किए गए उन गवाहों और शिकायतकर्ता के बयानों को भी ध्यान में रखा जाए , तब भी इस स्तर पर गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय और झूठा नहीं कहा जा सकता। विचारण न्यायालय ने संबंधित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, लेकिन यह पुनरीक्षण याचिका मेरिट रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता और मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्कों , विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयानों, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के तहत दर्ज बयान , जिरह के दौरान गवाहों द्वारा दिए गए बयान और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए , यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान अविश्वसनीय और झूठे हैं , बल्कि इसका निर्णय केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है। अभियोग के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले को ही अभिलेख में मौजूद सामग्री के आधार पर देखा जाना चाहिए। अभियोग तय करते समय अलीबी (घटनास्थल पर अनुपस्थिति का प्रमाण) की दलील पर भी विचार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे मुकदमे के दौरान उचित समय पर बचाव पक्ष द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकार , विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पारित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं दिखती, इसलिए इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मेरिट रहित होने के कारण प्रवेश स्तर पर ही खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

23 मार्च, 2026

अशोक गुप्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।